

(डॉ. गरिमा शर्मा R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी डॉ. गरिमा शर्मा RAS)

डिक्री मुकदमा इन्तदाई (ओ. 20 रूल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

वादी

प्रतिवादीगण

1. मनिष गुप्ता पुत्र मोहनलाल गुप्ता, आयु 57 वर्ष, जाति कलाल निवासी ग्राम बैनाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर हाल निवासी 2-ए, आदर्श बस्ती, टोक फाटक लालकोठी, गांधी नगर जयपुर। राजस्थान।
1. संजय गुप्ता पुत्र मोहन लाल गुप्ता जाति कलाल, आयु 49 वर्ष, निवासी ई-5, योजना आनन्द विहार, रेल्वे कॉलोनी जगतपुरा।
2. अशोक कुमार पुत्र गोपी, जाति ब्राहमण आयु वयस्क निवासी ग्राम मानसरखेडी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र गोपी जाति ब्राहमण आयु वयस्क निवासी ग्राम मानसरखेडी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
4. दिनेश पुत्र गोपी जाति ब्राहमण आयु वयस्क निवासी ग्राम मानसरखेडी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
5. दशरथ पुत्र गोपी जाति ब्राहमण आयु वयस्क निवासी ग्राम मानसरखेडी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
6. गोविन्द नारायण पुत्र गोपी जाति ब्राहमण आयु वयस्क निवासी ग्राम मानसरखेडी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
7. गणपत पुत्र रघुनाथ प्रसाद जाति ब्राहमण आयु 66 वर्ष निवासी एच-99, बी.पी.एल. गोदाम के पीछे, न्यू चाइन्ड स्कूल के पास बाल नगर, गोनेर रोड जयपुर, जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर।
9. उपपंजीयक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।



सत्यमेव जयते

दावा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री भवानी शंकर तिवाडी, एड0 वादी।

श्री विनय पारीक, एड0 प्रतिवादी संख्या 1

पर्चा डिक्री

मुकदमा न0 180/2022

जी.सी.एम.एस. न0 2022/243

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरु हमारे वादी व

प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरु हमारे मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी खाता संख्या नया 402 खसरा नम्बर खसरा संख्या 96 रकबा 1.7703 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.7703 है0 वाके ग्राम मानसर खेडी प.ह. मानसर खेडी तहसील बस्सी जिला जयपुर मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट तहसीलदार बस्सी रिपोर्ट दिनांक 04.12.2024 के अनुसार डिक्री किया जाता है। आराजी विवादित का पक्षकारान में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा (है०)
1	मनीष पुत्र मोहनलाल जाति कलाल सा० बैनाडा खातेदार।	96/2	0.2951
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.2951
2	संजय पुत्र मोहनलाल जाति गुप्ता निवासी प्लाट नम्बर ई-5 योजना आनन्द विहार जगतपुरा जयपुर खातेदार।	96/3	0.2950
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.2950
3	गणपत पुत्र रुघनाथप्रसाद जाति कलाल सा० बैनाडा खातेदार।	96/4	0.5901
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.5901
4	अशोक कुमार, दशरथ कुमार पुत्रान गोपी हिस्सा 2/5 राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बस्सी, गोविन्दनारायण, दिनेश कुमार, लक्ष्मीनारायण पुत्रान गोपी हिस्सा 3/5 जाति ब्राहमण सा० देह खातेदार।	96/1	0.5901
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.5901

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) बस्सी के जरिये पत्राक भू.अ./2024/7025 दिनांक 04.12.2024 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। यह निर्णय आज दिनांक 29/09/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।



(डॉ. गरिमा शर्मा R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर